न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश–प्रथम, बेनीपुर ।
विविध वाद सं0–06 / 2025
Reg. No. 06/2025

नन्दन प्रसाद वाहु एवं अन्य.....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....विपक्षीगण।

25.04.2025 आवेदक की हाजरी है।

वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए कहते हैं कि यह वाद मूल स्वत्व वाद संख्या–215 / 2014 दिनांक 03.05.2024 को खारिज किया गया है जिसे विखंडित करते हुए मूल स्वत्व वाद संख्या–215 / 2014 को पुनर्स्थापन किया जाए।

आवेदक को सुना एवं वादपत्र का अवलोकन किया गया। उक्त हकीयत वाद का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल स्वत्व वाद संख्या–215 / 2014 में वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 25.06.2008 को प्रतिवादी प्रथम पक्ष अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पक्ष में जारी पर्चा को अवैध और शून्य घोषित करने हेतु दायर किया था जिसके संबंध में दिनांक 01.03.2024 को वाद बिन्दु का गठन किया गया। वादी मूल स्वत्व वाद संख्या–215 / 2014 में 2 वर्षों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे थे। वे न तो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे और न ही अपने मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। वादी जानबूझकर प्रतिवादीगण को तंग तबाह करने के आशय से मूल स्वत्व वाद संख्या–215 / 2014 दायर किया है। वादी को अपने वाद में कोई अभिरुचि नहीं था। जब मूल स्वत्व वाद संख्या–215 / 2024 खारिज हो गया तब (वादी) आवेदक विविध वाद दायर कर उपस्थित हो गये। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक को अपने मुकदमे की पूर्ण जानकारी थी और जानबूझकर वे अपने वाद की अग्रिम कार्रवाई हेतु कुछ नहीं कर रहे थे ताकि वाद विलंब की स्थिति में चलता रहे। अतः आवेदक का विविध वाद न्यायहित में पोषणीय नहीं होने के कारण **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

अवर न्यायाधीश प्रथम,
बेनीपुर।
25.04.2025